

# विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे

प्र. मंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी, विपक्ष के अनुसार, यह बात साफ नहीं हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी या नहीं

**-जाल खंभाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस और राज्यसभा में हुई दो दिन की चर्चा के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर, जो नृशंस पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, से जुड़े विपक्ष के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल सके। सरकार द्वारा इसे “पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने” की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब यह रणनीति संदेहों, कूटनीतिक उलझनों और अस्पष्टता से घिरी हुई नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए विस्तृत एवं लम्बे जवाब के बावजूद, सरकार विपक्ष के मुख्य सवालों से किनारा करती दिखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कथित

- विपक्ष के अनुसार, उसे सुरक्षा संबंधी इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला:  
(अ) आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे? और आतंकवादी हमले के बाद कहाँ गये?  
(ब) क्या सभी आतंकवादी मारे गये या कुछ अभी भी घूम रहे हैं? विपक्ष तीन आतंकवादियों को मार गिराने के सरकारी दावे को स्वीकार नहीं करता।  
(स) हवाई हमले में भारत के कितने लड़ाकू विमान खत्म हुए?  
(द) ट्रंप के तथाकथित हस्तक्षेप के बाद, भारत द्वारा जवाबी हमला रोक देने से भारत को क्या लाभ मिला, रणनीति की दृष्टि से।

भूमिका पर सरकार से बार-बार सवाल किये, जिन्होंने कम से कम 29 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान संघर्षविराम (सीजफायर) में अहम भूमिका निभाई। लेकिन नई दिल्ली ने न

कभी इसकी पुष्टि की, और न सरकारी स्तर पर इसका खंडन किया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर ने इस भ्रम को दूर नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने दावा किया कि, “संघर्ष विराम में किसी भी विश्व नेता की भूमिका नहीं थी।”

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निदोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकियों की पहचान, उनके मूल ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## अज्ञपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियाविन्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय,

- हाई कोर्ट ने डींग जिले के नगर की अन्नपूर्णा रसोई के बारे में राज्य सरकार के 16 जून के आदेश पर रोक लगाई।

जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डींग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने ये आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ‘जमानती अपराध पर बेल क्यों नहीं दी गई’

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें जेल भेजने के मामले में संबंधित न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा से दो सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों आरोपी महिलाओं को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मौजूद पारीक और इंदू वर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राजेश

- हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दो न्यायिक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

महर्षि ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने उन्हें फंसाया है और वे निर्दोष हैं। पुलिस अनुसंधान में दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध प्रमाणित माना गया है, वे धाराएं जमानती प्रकृति की हैं। इसके बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते समय इसका ध्यान नहीं रखा। वहीं, एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने भी 24 जून को उनके जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पत्रों में कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है और इस ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार क्यों सोना खरीद रहा है?

क्या ट्रंप की लगातार टैरिफ संबंधी धमकियों व डॉलर की वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती अस्थिरता व विश्व में बढ़ रही फायनैशियल अनिश्चितता से प्रेरित है, आर.बी.आई. की सोना खरीद?

- भारत के विदेश मुद्रा के कोष में सोने का योगदान पहले 8.9 प्रतिशत ही होता था और हाल ही में हुई खरीद के बाद, सोने का योगदान बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया है।
- हालांकि, सोने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, सरकारी बॉण्ड्स की तुलना में। पर, जब विश्व में अशांति व अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं, ब्याज की कमाई से ज्यादा सोने द्वारा प्रदत्त फायनैशियल स्थिरता ज्यादा प्रिय लगती है।

आरबीआई पारंपरिक विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, से दूरी बनाकर वैश्विक अस्थिरता के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। और यह बदलाव केवल दिखावटी नहीं है। आर.बी.आई. की सोने की खरीददारी का समय, प्रौद्योगिकी और मात्रा इस बात का संकेत हैं कि वैश्विक आर्थिक ढांचे को लेकर गहरी

चिंता है। डिजिटल मुद्राओं और तेज़ रफ्तार बाजारों की आज की दुनिया में, एक समय में पुरानी मानी जाने वाली संपत्ति, सोने, की ओर यह वापसी क्यों? शायद इसलिए, क्योंकि जब हालात डगमगाने लगते हैं, तब सोना सबसे ज्यादा चमकता है। सोने को हमेशा से ही “सुरक्षित निवेश” माना गया है, खासकर तब, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में होती है। इसमें कोई काउंटरपार्टी जोखिम नहीं होता, अर्थात् इसका मूल्य किसी और ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक और झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया

**-जाल खंभाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 30 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भूमि के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला उनके 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति नौगमीकम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका निष्प्रभावी नहीं होगी। अतः अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए लालू प्रसाद की आरोप तय करने में देरी की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त साहित्यिक जनरल एसबी राजू ने लालू की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर

- याचिका में यह मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाई जाए, कि उक्त न्यायालय, लालू यादव के खिलाफ आरोप पत्र फाइनल न करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोप पत्र दायर होने से लालू यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

करने के कारण उन पर जुर्माना लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया। यह दूसरा अवसर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को राहत देने से इन्कार किया है। इससे पहले 18 जुलाई को भी अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी हार कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई तय की थी। यह मामला 18 मई 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

- जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टॉक रोड पर बीलवा स्थित सहारा ग्राहम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के, अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सेना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

**-डॉ. सतीश मिश्रा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 30 जुलाई। देश के लोकतंत्र के समर्थन में 93 पूर्व नौकरशाहों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेंसिव रिविजन) की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग सिद्धांत और व्यवहार को उलट रहा है, और नागरिकता साबित करने का भार मतदाता पर डाल रहा है, बजाय इसके कि अधिकारी यह प्रमाणित करें कि उन्होंने किसी व्यक्ति को फर्जी नागरिकता के आधार पर क्यों सूची से बाहर रखा है। पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जिससे एक बड़े वर्ग के लोग, खासकर वे, जिनके पास नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं या बहुत कम हैं, अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

# ‘नागरिकता का सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है?’

चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी मतदाता पर डाल दी, जबकि, पहले चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छीनने से पहले कारण बताकर संतुष्ट करता था कि उस व्यक्ति का नाम मत सूची से क्यों काटा जा रहा है

ये सेवानिवृत्त अधिकारी भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से हैं और संवैधानिक आचरण समूह (कॉन्स्टिट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप) से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा, “बिहार में मतदाता सूची के इस “निरर्थक” विशेष पुनरीक्षण को जारी रखना और इसे आगे चल कर देश भर में लागू करना, भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है।” पत्र में कहा गया है, “हम यह पत्र गहरी चिंता के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की नींव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पर सीधा हमला हो रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “यह हमला बेहद चालाकी से किया जा रहा है, जहां

- देश के 93 रिटायर्ड टॉप अफसरों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस निर्णय को प्रजातंत्र के समक्ष अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया।
- पत्र के अनुसार, भारत में आज भी अधिकतर लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते, जो यह साबित करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोग तो विशेषकर इन दस्तावेजों से महरूम हैं।
- एक और अहम सवाल है जो इस पत्र में शीर्ष रिटायर्ड अफसरों ने उठाया है, क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी की भी नागरिकता किसी भी कारण से रद्द कर सकता है।

मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को, खासतौर पर गरीबों और हासिए पर मौजूद लोगों को, जिनके पास

नागरिकता के पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।” पत्र में कहा गया है, “पूर्व में चुनाव

आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिये दस्तावेजों की जांच के मामले में उदार और लचीला रवैया अपनाया था, आयोग अच्छी तरह जानता था कि अधिकांश भारतीयों के पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिये पूर्ण दस्तावेज नहीं होते। उस समय यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से गरीबों को सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता में बहुत कठिनाई होती है और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त रूप से सक्रिय उपायों की जरूरत होती है। अब यह प्रक्रिया पलट दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची से वंचित कर दिया जाएगा।” पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लंबे समय से चले आ

रहे नियमों को उलट दिया है और अब नागरिकता सिद्ध करने का बोझ मतदाता पर ही डाल दिया गया है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक रूप से अपने अधिकारियों को किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार दे दिया है।

अधिकारियों ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को यह “असाधारण स्वविवेकाधारित अधिकार” दे दिया है, जिससे मतदाता “जोड़ने या हटाने के मामलों में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई है।” पत्र में कहा गया है, “इस पूरी कवायद का जारी रहना तथा इसके बाद इसका पूरे देश में पहुँचना भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है और यह खतरा उस संस्था द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसका काम सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदाता सूची को अपडेट करना तो चुनाव आयोग का नियमित एवं सामान्य (रूटीन) कार्य है।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## हाई कोर्ट ने जयपुर की दूटी सड़कों का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

- सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।

बुनियादी ढांचे की कमी से ढहते हुए, एक ढुबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )



## विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बर्दकारियाँ ही हमारी उचीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

# राजस्थान में स्कूल भवनों का ढहना- “आओ फूलों के जनाजे देखो”

आपने हमने जनाजो पर फूल चढ़ाते हुए तो बहुत देखे हैं, मगर खुद फूलों के जनाजे देखे तो दिल दहल गया। सात बच्चे जर्जर स्कूल की क्लास रूम में दब कर मर गये और कोई हल्ला ना हुआ। सन्नाटा पसरा रहा है चारों ओर। उनके लिए ना कोई अगरबत्तियाँ जलाई गईं ना ही कोई जुलूस निकाल गये। वे बच्चे गरीब थे इसलिये सरकार ने उनकी हैसियत देख कर उनकी जान की कीमत दस लाख लगाई गई। शिक्षा मंत्री घूम आये, दोषी को सजा देने का आश्वासन देकर। इतना बड़ा हादसा और कोई इस्तीफा नहीं, कोई दोषी नहीं। संवेदनशै्र मर चुकी हैं, हम स्त्रार्थी हो चले हैं। इतने बड़े हादसे के बाद तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिये था मगर ये सम्भव नहीं था क्योंकि मृतकों में हमारा कोई नहीं था।

छोटे-छोटे मासूम बच्चों का जब सामूहिक संस्कार हुआ तो मोक्ष धाम की धरती भी कांप गई। अधिकांश सरकारी स्कूल कांपती स्थिति में है। एक सर्वे में 90% सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब इन स्कूलों में उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे जो यहाँ पढ़ा कर सरकारी शिक्षक बने बैठे हैं। सात बच्चों की दर्दनाक मृत्यु से मन बहुत विचलित और असह्य है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। 28 जुलाई 2025 को जैसलमेर के हावूर (पूनमनगर) में राजकीय बालिका उच्च माध्यामिक विद्यालय के मुख्य द्वार का पत्थर गिरने से छुट्टी के समय एक मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, और एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह खंभा पहले से ही जर्जर हालत में था, और इसकी मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा स्थानीय सत्ता रूढ़ पाटी के विधायक छोट्टीसिंह भाटी के पैतृक गांव में हुआ है जो सरकार की उदासीनता को और भी शर्मनाक बनाता है। इससे ठीक एक दिन पहले, 27 जुलाई 2025 को जोधपुर जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। सीभाग्य से, उस समय कोई बच्चा या शिक्षक मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि राजस्थान के स्कूलों की स्थिति कितनी भयावह है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के पीपलटोड़ी गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 अन्य के घायल होने की दिल दहला देने वाली घटना ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख ही दिया है। यह हादसा सुबह 7:45 बजे हुआ, जब बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल की इमारत 78 साल पुरानी थी, और स्थानीय लोगों ने कई बार उसकी जर्जर हालत की शिकायत की थी। बच्चों ने हादसे से पहले छत से कंकड़ गिरने की बात शिक्षकों को बताई थी, लेकिन शिक्षकों ने इसे नजरअंजब कर बच्चों को डांटकर चुप करा दिया। इस हादसे में मरने वाले आठ बच्चे 8 से 11 साल की उम्र के थे, और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर घृष्ठ में पड़ी हैं। झालावाड़ हादसे के ठीक एक दिन बाद, नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में खरियावास के सरकारी प्राथमिक स्कूल की छत अचानक ढह गई। सीभाग्य से, इस समय कोई बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि स्कूल भवनों की जर्जरता पूरे राज्य में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि अगर बच्चे मौजूद होते, तो तौन जिम्मेदार होता? राज्य के शिक्षामंत्री मदन दिवाकर ने हादसे का नैतिक दायित्व लेते हुए कहा कि सरकार को प्रक्रिया से ही भवनों के मरम्मत का पैसा भेजना जाएगा। इसमें किसी को पैराराज नहीं हो सकता लेकिन हम हादसों का इन्तजार क्यों करते हैं। सरकार को यह सब समय से पहले क्यों नहीं सुझता। राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। 2023 में बीकानेर जिले के एक सरकारी स्कूल में छत का एक हिस्सा गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। स्कूल की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2022 में उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की, लेकिन दो साल बाद भी वह स्कूल जर्जर हालत में है। 2021 में जयपुर के एक सरकारी स्कूल में बारिश के कारण छत से पानी रिसने की वजह से दीवार ढह गई थी, जिसमें एक शिक्षक और एक बच्चा घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट का वादा किया था, लेकिन यह केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया। इन घटनाओं के बाद सरकार ने हर बार जांच कमेटियाँ गठित कीं, मुआवजे की घोषणाएं कीं, और स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित करने का दावा किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश वादे हवा-हवाई साबित हुए। 2023 में बीकानेर हादसे के बाद स्वीकृत राशि का केवल 30% ही उपयोग हुआ, और बाकी राशि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ गई। उदयपुर हादसे के बाद घोषित 50 लाख रुपये का उपयोग आज तक नहीं हुआ, और वह स्कूल आज भी बच्चों के लिए खतरा बन रहा हुआ है।

इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। शिक्षा विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2,710 स्कूल भवनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है, और 2,256 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि समस्या व्यापक और गंभीर है, हकीकत में यह आंकड़ा भी कागजी है वास्तविकता इससे अधिक खराब है। फिर भी, सरकार ने समय रहते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। झालावाड़ हादसे में यह सामने आया कि स्कूल की इमारत को जर्जर भवनों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया था। यह न केवल लापरवाही है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। अगर शिक्षा विभाग को इस स्कूल की स्थिति की जानकारी नहीं थी, तो उनकी सूची कितनी विश्वसनीय है? क्या अन्य स्कूल, जो इस सूची में नहीं हैं, वाकई सुरक्षित हैं? शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर ने झालावाड़ हादसे की 'कोरेस का पाप' बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अगर पिछले पांच वर्षों में कोरेस की सरकार थी तो उससे पहले भाजपा की सरकार रही थी अत: यह बयान न केवल अनुचित है, बल्कि उस मानसिकता को दर्शाता है जो समस्याओं के समाधान के बजाय राजनैतिक दोषारोपण को प्राथमिकता देती है। क्या सात बच्चों की मौत और जैसलमेर में एक मासूम छात्रा की जान जाने के बाद भी सरकार का 'चरणबद्ध' भवनों की मरम्मत का दृष्टिकोण उचित है?

**राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है।**

है? क्या मासूमों की जान को कीमत इतनी सस्ती है कि सरकार भवनों धीरे-धीरे ठीक करने की बात करे? जैसलमेर हादसे में, जहां सरकार के अपने विधायक के अपने गांव में ही हादसा हुआ, सरकार की चुप्पी और भी अखरने वाली है। पिछले साल स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और इस साल यह राशि बढ़ाकर 175 करोड़ रुपये की गई। लेकिन यह राशि भी अल्पव्यय है, क्योंकि 2,710 स्कूलों की मरम्मत के लिए 254 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो अभी भी वित्त विभाग में मंजूरी के लिए अटक पड़ी है। यह प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार का एक जीवन्त उदाहरण है, जो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है।

झालावाड़ हादसे के बाद पांच शिक्षकों और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि बच्चों की शिकायतों को नजरअंजब करना और उन्हें डांटकर चुप कराना शिक्षकों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी। लेकिन क्या यह हादसा केवल शिक्षकों की गलती का नतीजा था? शिक्षकों ने कई बार स्कूल की जर्जर हालत की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने भी अधिकारियों से मरम्मत की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। शिक्षकों को निलंबित करना एक आसान रास्ता है, जो सरकार को अपनी जवाबदेही से बचने का मौका देता है। शिक्षक न तो इंजीनियर हैं, न ही उनके पास स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट या अधिकार हैं। फिर उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है? शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की भूमिका को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? जैसलमेर और जोधपुर हादसों में भी यही पैटर्न देखने को मिला, जहां सरकार ने तुरंत शिक्षकों पर कार्रवाई की, लेकिन असल जिम्मेदारी-प्रशासन और PWD-को छुने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह साफ है कि सरकार शिक्षकों को बलि का बकरा बनाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हां अगर यही हादसा किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाता तो पूरा प्रशासनिक अमला स्कूल संचालक के खिलाफ सक्रिय हो जाता और अब तक उसे सलाखों के पीछे धकेल चुका होता और ताबडतोड़ अदालतों और उपदेशों की बाढ़ आ जाती।

राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम हैं। एक जगह शिक्षा कहा गया है कि “जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार” भारत की कटु सच्चाई है। झालावाड़ हादसे के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर सभी राज्यों को स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता भर साबित होगी, अगर इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। झालावाड़ हादसे में मृत बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक पुरस्कार को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की गई है। जैसलमेर हादसे में भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन क्या यह मुआवजा उन मासूमों की जान वापस ला सकता है? एक पिता, छोट्टलाल, ने अपने दोनों बच्चों-कान्हा और मीना-को झालावाड़ हादसे में खो दिया। एक आठ साल का बच्चा, कार्तिक, अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। अब उसकी बहनें किसे राखी बांधेंगी? जैसलमेर में मृत छात्रा के परिवार का दर्द भी कम नहीं है। ये बच्चे गरीब और बहुजन समाज से थे, जो निजी स्कूलों की मोटी फीस नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल उनकी एकमात्र उम्मीद थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस उम्मीद को भी धोखा दिया। जैसलमेर में यह तथ्य और भी दुःखद है कि हादसा विधायक के अपने गांव में हुआ, फिर भी सरकार और प्रशासन खामोश रहे।

यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। ओडिशा में 12,343 स्कूल जर्जर हैं, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, और उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूल खराब हालत में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह एक राष्ट्रीय संकट है, जिसे नजरअंदाज करना अब असंभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की। यह कदम सराहनीय है, लेकिन यहां खानापूर्ति होकर न रह जाए? जैसलमेर और जोधपुर, झालावाड़ के हादसों के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान या कार्रवाई नहीं देखी गई। पहले भी ऐसी कमेटियाँ बनती रही हैं, और नतीजा शून्य रहा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल भवनों की स्थिति पर स्वयं सेंशन लेकर नोटिस जारी किया है उधर केंद्र सरकार ने भी देश भर के स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जो 2021 के सुरक्षा दिशा-निर्देशों और 2016 के आवादा प्रबंधन निर्देशों के अनुसार होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन निर्देशों का पालन होगा? क्या स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ऑडिट को गंभीरता से लेगे, या यह भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? इस संकट से निपटने के लिए सरकार को तत्काल सुरक्षा ऑडिट करना होगा, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों की जांच की जाए और जर्जर भवनों को तुरंत बंद कर बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था में ढाया जाए। मरम्मत के लिए राशि को तुरंत जारी किया जाए, और अर्द्धक उपयोग में पावर्शिता सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं भवन मरम्मत के लिए अनापत्ति निधी का भी प्रथक से प्रावधान हो जिसे जिला कलेक्टर स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हों। मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए केवल शिक्षकों को दोषी ठहराने के बजाय जिला प्रशासन, और PWD के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय पंचायतों को भवन सुरक्षा और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जर्जर स्कूलों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर आधुनिक और सुरक्षित भवनों का निर्माण किया जाए। स्कूलों में नियमित रूप से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और मौक ड्रिल आयोजित किए जाएं।

अगर अब भी सरकार नहीं जागती, तो अगली दीवार कहीं और गिरेगी, और तब शायद सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा।

–अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र मोहन शर्मा,

वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिंतक



राजेश्वर सिंह

गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भारत की भक्ति काव्य परंपरा की सगुण शाखा के शौर्यश्रेय कवि हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली सहित अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया जिसमें मानस की प्रतिष्ठा एक धर्मग्रंथ के रूप में व एक कालजयी साहित्यिक कृति के रूप में आज तक बरकरार है और भविष्य में भी बनी रहेगी। मानस की अग्रा लोकप्रियता का आधार केवल धार्मिक नहीं है। इसमें व गोस्वामी जी की अन्य कृतियों में न केवल तात्कालिक परिवेश व जनजीवन के दुःख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा और वेदना का सजीव चित्रण है वरन इनमें इसको सहन व शमन करने के लिए तमाम उपायों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें राम की भक्ति सर्व प्रमुख है। यह तुलसी के पालन पोषण, अध्ययन, चिंतन तथा समकालीन परिवेश से अर्जित संस्कार से उद्भूत समाधान है।

किंतु तुलसी यहीं पर नहीं रुकते। वह अकाल, दुर्मिष्ट, व्याधि व क्षुधाकुलता का वर्णन तो करते ही है पर उसके साथ ही राम राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य तथा जनहितकारी शासन तंत्र की संकल्पना भी प्रस्तुत करते हैं जो कि तत्कालीन शासकों पर एक अप्रत्यक्ष प्रहार की श्रेणी में ही रखा जा सकता है।

# झालावाड़ हादसे के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये बजट की स्वीकृति दी

**मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीपलोड स्कूल हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया**



हिमांशु सिंह

हादसा होना बेहद दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दोषियों के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे हादसों से सबक लेकर भविष्य के लिए बेहतर चौकसी और समन्वय ही हादसे में मृत बच्चों को श्रद्धांजलि होगी। झालावाड़ के पीपलोड स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी

दिन शाम को साढ़े छह बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।

यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रেসपोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम सब एक हैं और प्रत्येक संकट, खतरे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जीस में है। इसमें नेतृत्व सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अर्थोर्गिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में है और वह है।

आमजन के साथ तादात्म्य कर उनको आंकांक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकांक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करे। सभी जिलों से जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों व अन्य भवनों की सूची 2 घंटे में तैयार होना, तत्काल एस्टीमेट बनाना, इसे अचूक

**■ प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए**

करवाना, वित्त एवं अन्य विभागों से आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति कवा कर कई प्रकार की स्वीकृतियाँ करवाना इसी संझार और ज्ञन उन्मुक्ति नेतृत्व का परिणाम है।

गौरतलब है कि अजमेर जिले के 185, अलवर के 6, ब्यावर के 109, बारां के 48, भीलवाड़ा के 232, बीकानेर के 55, बूंदी के 22, चित्तौड़गढ़ के 51, दौसा के 153, डीडवाना-कुचामन के 260, धौलपुर के 5, डूंगरपुर के 16, हनुमानगढ़ के 168, जयपुर के 123, जालौर के 132, झालावाड़ के 118, झुंझुनूं के 289, करौली के 101, खैरथल-तिजारा के 24, कोटा के 37, कोटपुतली-बहरोड़ के 24, नागौर के 186, पाली के 141, राजसमंद के 81, सलूबर के 198, सवाई माधोपुर के 120, श्रीगंगानगर के 114, सिरोंही के 317, ठोंक के 129 व उदयपुर के 344 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है। ठीक इसी तरह सीएम शर्मा के निर्देशों पर राजस्थान स्कूल शिक्षा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

परिषद ने राज्य के 1936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से भवन मरम्मत, छत एवं दीवारों का सुदृढ़ीकरण, फर्श और शौचालय सुधार, बिजली एवं जल सुविधाओं का विकास, खेल मैदान का सुधार तथा कक्षाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

इसके तहत अजमेर में 47, अलवर में 48, बालोतरा में 44, बांसवाड़ा में 57, बारां में 36, बाड़मेर में 60, ब्यावर में 29, भरतपुर में 35, भीलवाड़ा में 118, बीकानेर में 56, बूंदी में 35, चित्तौड़गढ़ में 42, चूरू में 27, दौसा में 42, डींग में 30, धौलपुर में 59, डीडवाना-कुचामन में 59, डूंगरपुर में 46, गंगानगर में 37, हनुमानगढ़ में 31, जयपुर में 174,

जैसलमेर में 31, जालौर में 50, झालावाड़ में 51, झुंझुनूं में 44, जोधपुर में 72, कोटा में 41, खैरथल-तिजारा में 11, कोटा में 76, कोटपुतली में 28, नागौर में 49, पाली में 62, फलोदी में 19, प्रतापगढ़ में 33, राजसमंद में 33, सलूबर में 16, सवाई माधोपुर में 39, सीकर में 42, सिरोंही में 27, ठोंक में 32 व उदयपुर में 68 विद्यालयों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है।

दरअसल हम हमेशा इतिहास से सीखते हैं। पूरी मानव सभ्यता का क्रमिक विकास इसी गुण पर टिका हुआ है। कोई भी सिस्टम 100 फीसदी सुरक्षित नहीं होता लेकिन भजनलाल सरकार हमें आश्चर्य चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार यही कार्य कर रही है ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मानवीय करुणा, लचीलापन और नैतिकता की नींव पर खड़ी भजनलाल सरकार हमें आश्चर्य करती है कि हम ऐसे हादसों को पारस्त कर आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल देंगे, उन्हें हमसे बेहतर नागरिक के रूप में विकसित करेंगे। बतौर सजग और जागरूक नागरिक, आओ! हम भी अपने आसपास के वातावरण, भवन, घरों की स्थिति के लिए जागरूक बनें और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होने से रोके।

**हिमांशु सिंह राजस्थान सरकार में पीआरओ हैं और वर्तमान में झुंझुनूं में कार्यरत हैं।**

**मेघ**  
स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अनहोनी को आंशका से बना मन का भय समाप्त होगा। दिन के मध्याह्न पश्चात परिवार में धार्मिक-साप्ताहिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**वृष**  
व्यावसायिक आर्थिक मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अस्त-व्यस्त निवर्चया में सुधार होगा।

**मिथुन**  
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

**कर्क**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग और व्यक्तिगत प्रयासों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**सिंह**  
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। धन हाँक का भय बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में ध्यान देना ठीक रहेगा।

**कन्या**  
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

**तुला**  
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

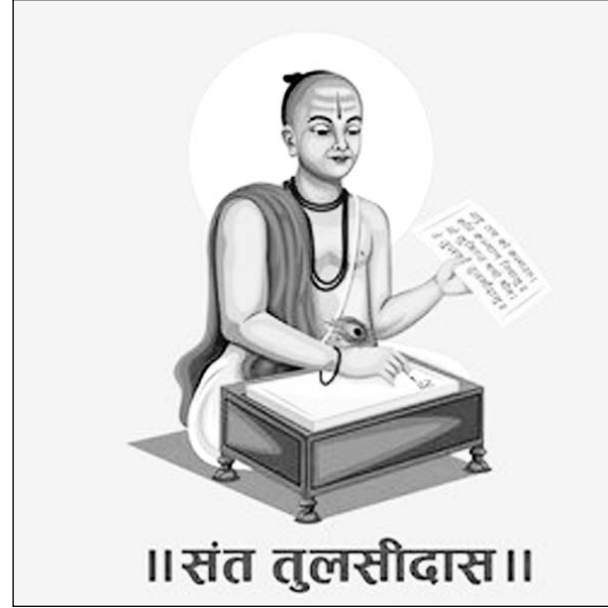
**वृश्चिक**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों दिन के मध्याह्न पूर्व करने का प्रयास करें। मध्याह्न पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। घर-गृहस्थी के कार्यों के कारण भागड़ा रहेगी।

**धनु**  
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**मकर**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आवासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

**कुंभ**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियाँ अभी बनी रहेंगी।

**मीन**  
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्याह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।



मदद लेते हैं, तब इन सीमाओं का प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष अतिक्रमण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। नारी की स्थिति पर तुलसी की उक्ति “कत विधि सुजी नारी जग माहीं,पराधीन सुख सपनेन्हें नाहीं” उक्त संपूर्ण समुदाय के प्रति तुलसी की मार्मिक अनुभूति का असीदिगुह प्रमाण है।तुलसी के राम राज्य में स्वस्थ, संपन्न व सुखी नागरिकों की कल्पना तो है ही, ऐसे स्नानघाटों का विवरण भी है जहां चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते हैं। उनके राम एक सामंती राज्य के मुखिया हैं।किंतुवह अपनी प्रजा को अभय दान देते हुए उन्हें अपने किसी भी अनौतिपूर्ण कार्य की बेहिवक आलोचना का अधिकार प्रदान करते हैं जो आज के तथाकथित लोकतांत्रिक राज्य में भी अकल्पनीय व असंभव है। तुलसी की भक्ति एक ऐसा धरातल है जो वर्ण, जाति, लिंग व सामाजिक स्थिति की तमाम विषमताओं का अतिक्रमण करती है और

सबको मुक्ति का समान अधिकार प्रदान करती है। तुलसी यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो लोग खुद से बढकर सीताराम को मानते हैं, उनके पांव का जूता बनाने के लिए तुलसी अपने तन का चमड़ा भी समर्पित करने को तैयार है और यह सीताराम और कहीं नहीं है वरन् वे संपूर्ण जगत के समस्त पर नातियों में ही समाहित हैं, जिन्हें तुलसी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार तुलसी का काव्य आम जनजीवन की पीड़ा का गहराई से अनुभव करने वाला, जाति भेद, वर्णभेद व लिंग भेद के प्रति गहन आक्रोश की अभिव्यक्ति का तथा स्वातंत्र्य, सत्ता व बंधुत्व पर आधारित आदर्श राज्य और समाज की संकल्पना का काव्य है। यह भारतीय जन की आशा, आकांक्षा व अपेक्षा का शाश्वत घोषणा पत्र है।

–राजेश्वर सिंह, आईएएस ( सेवानिवृत्त )





पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेदला



# फेफड़ों की अत्याधुनिक देखभाल, अब उदयपुर में पहली बार...



बेसिक और एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी

एवं उदयपुर में सर्वप्रथम थोरेकोस्कोपी सूट अब PMCH में

अब फेफड़ों से सम्बंधित उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा अहमदाबाद

## पल्मोनोलॉजिस्ट्स की अनुभवी टीम



**डॉ. सी.एस. पुरोहित**  
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ



**डॉ. सुनील कुमार**  
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी एवं क्रायो प्रोसीजर  
~~₹50000~~  
**निःशुल्क**

एडवांस्ड थोरेकोस्कोपी  
~~₹50000~~  
**निःशुल्क**



**डॉ. अतुल लुहाडिया**

इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एवं चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

निःशुल्क परामर्श व जाँच

निःशुल्क भर्ती

निःशुल्क चेस्ट CT-Scan & सीटी गाइडेड लंग्स बायोप्सी

निःशुल्क X-Ray, 2D Echo

निःशुल्क ब्रोंकोस्कोपी, ICDT प्रोसीजर

निःशुल्क स्पाइरोमेट्री, DLCO

### उपलब्ध सुविधाएं

#### बेसिक ब्रोंकोस्कोपी सेवाएं

- ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज (BAL)
- बायोप्सी
- ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन (TBNA)
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी (TBLB)

- इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीकें
- स्पेशल नेगेटिव प्रेशर सूट (Negative Pressure Suite)
- 24x7 क्रिटिकल केयर और आईसीयू सुविधा
- एचडी वीडियो ब्रोंकोस्कोप एवं थोरेकोस्कोप उपकरण

#### थोरेकोस्कोपी सेवाएं

- डायग्नोस्टिक एवं थैरेप्यूटिक
- बायोप्सी • प्ल्यूरोडेसिस
- एड्हीसियोलाइसिस

#### एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी द्वारा उपचार

- पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी • ब्रोंकोस्कोपी इन आईसीयू
- रिजिड ब्रोंकोस्कोपी • इलेक्ट्रोकोटर
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग क्रायोबायोप्सी (TBLC)
- क्रायो प्रक्रियाएं (क्रायो बायोप्सी, क्रायो एक्सट्रैक्शन)
- एपीसी (Argon Plasma Coagulation)
- ट्यूमर मास डिबल्किंग - वायुमार्ग से बड़ी गांठें हटाना
- फॉरेन बॉडी रिमूवल - श्वास नली में फंसी वस्तु निकालना
- भारी खून बहाव (Massive Hemoptysis) का प्रबंधन
- ग्लू थेरेपी - वायुमार्ग की ब्लीडिंग रोकने हेतु



मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना



राजस्थान स्वास्थ्य योजना



कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC



जननी सुरक्षा योजना JSY

योजनाओं एवं सभी इश्योरेंस एवं TPA के कैंसलस ईलाज के लिए अधिकृत हॉस्पिटल

अंबेरी पुलिया से पेसिफिक हॉस्पिटल बेदला के लिए आने एवं जाने के लिए मरीजों को निःशुल्क वाहन की सुविधा

\*नियम व शर्तें लागू

पंजीकृत मरीज इस सुविधा का लाभ 31 अक्टूबर 2025 तक उठा सकते हैं



**पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल**

भीलों का बेदला, एन.एच.-27, प्रतापपुरा, अम्बेरी, उदयपुर - 313011 (राजस्थान)

फोन : 8690541110, 8239278607



# हाड़ौती में भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद, मध्यप्रदेश से संपर्क कटा

## बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत, सड़क पर आया मगरमच्छ

कोटा, (निसं)। हाड़ौती संभाग में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बीते 40 घंटे से बारिश हो रही है। इसके चलते जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद हैं। वहीं मध्यप्रदेश से संपर्क कट गया।

हाड़ौती की बड़ी नदियों के साथ-साथ उनके सहायक नदियों में भी उफान आ गया है। ऐसे में करीब एक दर्जन से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा गांव की खाड़ी (नाले) भी काफी उफान पर है, जिससे हादसे होने की आशंका है। इन नालों ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। इनके तेज बहाव में पुलिया भी टूटकर बह गई, जिन्हें मिलकर हाड़ौती में 50 से ज्यादा रास्ते बंद हैं। बूंदी में लाखेरी के नजदीक कोटा-दीसा-लालसोट मेगा हाईवे पर मेज नदी की पुलिया पर खतरा बना हुआ है। पुलिया को फिलहाल बंद कर दिया है। इस रूट के ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। हाड़ौती में कालीसिंध, परवन, पार्वती, चंबल, अरू, पाटली, नांगली, ताकली, उजाड़, सुखनी, छापी, अंधेरी, रेणुका, कूल, बाणगांग, चंबली, आहू व मेज नदी सहित अन्य सहायक नदियां भी उफान पर हैं। साथ ही नाहरगढ़ एरिया पहले से ही मध्यप्रदेश से आ रहे पानी के चलते



सड़क पर आए मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा।

डूब में तब्दील हो रहा है। बारं जिले के छबड़ा की टॉवर कॉलोनी में भी पानी प्रवेश कर गया। बारं जिले के छबड़ा में भारी बारिश के चलते गूलन में किले की दीवार के पत्थर ढह गए। इसी तरह से केलवाड़ा के जैसवा के गांव में एक घर की छत गिर गई, हालांकि घर में सो रहे पांच सदस्य तुरंत बाहर चले गए थे। इसके अलावा कोटा के खातोली इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। खातोली कस्बे में बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली करना शुरू कर दिया है। लगातार पार्वती नदी में पानी की आवक हो रही है। साथ ही प्रशासन मुनादी भी कर रहा है।

थानाधिकारी मंशीराम बिश्नोई ने

बताया कि लगातार पानी की आवक होने से एहतियात बरत रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार अरुण सिंह सहित प्रशासन ग्रामीणों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करवा रहे हैं और सतर्कता बरतने के लिए कह रहे हैं। पीपन्दा क्षेत्र में मदनपुरा, गोवर्धनपुरा, संग्रामपुरा, रघुनाथपुरा, डोली, नारायणपुरा, किरपुरिया, ख्यावदा, कर्जलिया सहित कई गांव टापू बन गए हैं।

कोटा के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में एक कच्चे घर की दीवार ढहने से 79 वर्षीय खेमराज मौणा की मौत हो गई है। जबकि उनका मूकबधिर बेटा धनराज मलबा गिरने से घायल हो गया। सुल्तानपुर पंचायत समिति के सारोला पंचायत का कचनावाड़ा गांव

में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। शमशान में टीनशेड नहीं था ऐसे में तिरपाल की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। चंबल नदी की झरेल की पुलिया पर पानी 22 जून से ही यह रास्ता बंद है। जिसे सवा महीने के आसपास हो गया है। इससे कोटा जिले के खातोली एरिया का सीधा संपर्क सवाई माधोपुर से टूटा हुआ है। वर्तमान में चंबल नदी की इस पुलिया पर पानी है। यहां पर स्थित झरेल के बालाजी का मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न है। मध्यप्रदेश सरकार ने खातोली के नजदीक पार्वती नदी पर पुल बनाया था। यह

सबमर्सिबल पुल था जो इस बार बारिश में डूब गया है। इससे पहले राजस्थान सरकार का बनाया पुल भी अक्सर डूब जाया करता था। इस बार नया बना हुआ पुल जिस पर से इस साल ही ट्रैफिक शुरू हुआ था वह भी डूब गया है। इसके चलते मध्यप्रदेश का खातोली से संपर्क टूट गया है। कोटा जिले के अयाना के नजदीक पार्वती नदी की सुरताक क्वांजापुर की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते कोटा का मध्यप्रदेश के बड़ौदा श्योपुर से संपर्क कट गया है। यह सड़क मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग बारं जिले के लोग मध्यप्रदेश के श्योपुर जाने के लिए करते हैं।

बूंदी जिले के लाखेरी के नजदीक मेज नदी की पापड़ी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है। इसे देखने

■ कोटा के खातोली इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराना शुरू किया

के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद इस पुलिया पर से आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। बारं जिले में 14 रास्ते बंद हैं। कोटा जिले में सुकेत से जुल्मी रोड, देवली मांझी से ढोटी, नौनेरा से नारायणपुरा, गैता से कीरपुरा, चेचट से चंद्रपुरा रोड भी बंद है।

सड़क पर आया मगरमच्छ:- शहर के बजरंग नगर में नहर के नजदीक एच 9 फीट लंबा मगरमच्छ देर रात को पहुंच गया था। वन विभाग को भी इसकी सूचना मिली थी जिसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट विभाग के वीरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि वह मंगलवार देर रात करीब 1 बजे पहुंच गए थे। लेकिन भारी बारिश हो रही थी। इसके चलते रेस्क्यू करने में काफी समय लगा। इसके बाद उसे पौने तीन बजे रेस्क्यू किया गया। इसे ले जाकर वॉटर फिल्टर प्लांट शिवपुरा के नजदीक चंबल नदी में छोड़ा है। यह मगरमच्छ 9 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी था।

## सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात



एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू किया।

सवाई माधोपुर, (निसं)। जिले में लगातार हो रही मूसलधार वर्षा और जल स्रोतों के उफान के बीच बुधवार प्रातः एसडीआरएफ कमांडेंट राजेन्द्र सिंह हिसोदिया के निदेशन में एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जान बचाई।

प्रातः 5:10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर भरतपुर की सी कम्पनी खण्डार थाना क्षेत्र में तैनात टीम सी-7 को मईकलां गांव में चम्बल नदी के तेज बहाव में फंसे ग्रामीणों के निदेशन में एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जान बचाई।

■ चम्बल नदी व लटिया नाले में फंसे 16 लोगों को बचाया

■ ग्रामीणों के साथ 40 मवेशियों को ला सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

हुए 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 4 बच्चों सहित कुल 9 नागरिकों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित निकाला और नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके साथ ही ग्रामीणों के 40 मवेशियों को भी बहाव से सुरक्षित बाहर लाया गया। इसी प्रकार दूसरी और सवाई माधोपुर शहर के समीप लटिया नाले के तेज बहाव में फंसे 7 नागरिकों को भी एसडीआरएफ की सी-08 टीम ने प्रातः पांच बजे सूचना मिलने के बाद प्रातः 5:50 बजे तक पहुंचकर

सफलतापूर्वक बचाया। यह टीम रिजर्व पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में तैनात थी और इसका नेतृत्व हैडकॉस्टेबल धारा सिंह कर रहे थे। लटिया नाले का मिर्जा मोहल्ला और अंसारी मोहल्ला क्षेत्रों में 3 से 4 फीट पानी भर चुका था, जिससे कुछ खाना जलमग्न हो गए। रेस्क्यू टीम ने रफिसयॉ एल, जसपूर के नाम देय हो। को भी बहाव से सुरक्षित बाहर लाया गया। इसी प्रकार दूसरी और सवाई माधोपुर शहर के समीप लटिया नाले के तेज बहाव में फंसे 7 नागरिकों को भी एसडीआरएफ की सी-08 टीम ने प्रातः पांच बजे सूचना मिलने के बाद प्रातः 5:50 बजे तक पहुंचकर

## सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बढ़ते अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी

अलवर, (निसं)। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में फैली बहुमूल्य वन भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर अब प्रशासन सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। प्रशासन को अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेड (सीटीएच) से एक किलोमीटर के दायरे में बने होटल व रिसॉर्ट पर कार्रवाई करनी होगी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी साफ कर दिया है कि अतिक्रमण पर अग्रिम कार्रवाई राजस्व और यूआईटी को करनी होगी। बाघों के संरक्षण में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासन अब अपना बुलडोजर बाहर निकालेगा और सिलीसेढ़, टहला, अजबगढ़ आदि एरिया में सरिस्का की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। वहीं, सरिस्का प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन से सरिस्का की जमीनों पर हुए अतिक्रमण का डेटा मांगा था।

■ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी साफ कर दिया है कि अतिक्रमण पर अग्रिम कार्रवाई राजस्व और यूआईटी को करनी होगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरिस्का बफर में क्षेत्र में बने हुए होटल राजस्व और यूआईटी के क्षेत्र में है। जिला प्रशासन की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट के बाद उन्हीं विभागों को अग्रिम कार्रवाई करनी है। किसी भी प्रकार का काम, जो अवैध हो और जो बाघों के संरक्षण के लिए हानिकारक होगा, उसे होने नहीं दिया जाएगा। इससे साफ हो गया है कि अब प्रशासन को कार्रवाई

## बारिश और अंधड़ से 100 साल पुराना पेड़ गिरा, कई वाहन क्षतिग्रस्त

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के मंगला चौक में बारिश और अंधड़ के चलते 100 साल पुराना पेड़ गिरने से कार और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गये और बिजली के तार टूट गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारों के अनुसार पुराने शहर भीलवाड़ा ने करीब 100 वर्षों पुराना पेड़ बारिश के बीच अचानक गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से एक कार और ऑटो

क्षतिग्रस्त हो गये, जबकि कई विद्युत पोल और तार टूटने से क्षेत्र को बिजली गूल हो गई। सूचना पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और रोड क्लियर करवाया। हादसे की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई।

## मालाखेड़ा, सिलीसेढ़ व सरिस्का क्षेत्र में बारिश, खेतों में पानी भरा

अलवर, (निसं)। अलवर जिले में अलर्ट के दूसरे दिन बुधवार सुबह से घने बादल छाए रहे। दोपहर में मालाखेड़ा, सिलीसेढ़ व सरिस्का के क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है।

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बारिश होने से खेतों में पानी भर गया। अब बारिश होने से सिलीसेढ़ बांध में पानी की आवक बढ़ने लगी है। वैसे भी बांध करीब दो से ढाई फीट तक खाली है। बांध भरने के बाद जयसमंद में पानी की आवक बढ़ेगी। तेज बारिश अलर्ट के कारण अलवर कलेक्टर

■ सिलीसेढ़ बांध में पानी की आवक बढ़ने लगी

ने दो दिन तक जिले में स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। अलर्ट से पहली रात को जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। वहीं जिले के अन्य ग्रामीण हिस्सों में बुधवार तड़के करीब तीन बजे से सुबह आठ बजे तक लगातार पांच घंटे अच्छी बारिश हुई। इससे खेतों में पानी भर गया और किसानों के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों

का कहना है कि इस बारिश से भूजल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। सबसे अधिक गोविंदगढ़ में 45, थानागाजी में 11, लक्ष्मणगढ़ में 22 और बाकी जगहों पर 2 से 11 मिमी बारिश हुई है। सिलीसेढ़ बांध में अब 26.3 फीट पानी है, जबकि 28.9 फीट के बाद ऊपरा चल सकेगी। जबकि अलर्ट से पहली रात को अलवर में 22, जयसमंद में 30, सोडावास में 24, सिलीसेढ़ में 21, राजगढ़ में 21 सहित अन्य जगहों पर भी हल्की बारिश हुई थी।

| राजस्थान सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 14)2025/ई-12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>ई-नीलामी विज्ञापित संख्या-(ERCC/RCC 14)2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अभ्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञापित से अभ्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टी/स्वारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 49 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट <a href="http://www.mines.rajasthan.gov.in">www.mines.rajasthan.gov.in</a> एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेट फार्म प्रदाता कंपनी RailTel की वेबसाइट <a href="http://www.rajminorrcerce.envida.com">www.rajminorrcerce.envida.com</a> पर उपलब्ध है। |  |
| (दीपक तंत्र) निदेशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| DIPRC/10426/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| राजस्थान सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                                 |           |
| विभागीय दूरभाष नं. 0294-2415091 विभागीय एक्स्टर्नल नम्बर 211, 212 व 219                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                                 |           |
| क्रमांक निदे / अ.ख.अ. नीलामी / निलामी (QL 21)2025/ई-11996                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                                 |           |
| नीलामी विज्ञापित                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |                                 |           |
| सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अभ्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के तहत अभ्रधान खनिजों के 193 स्वारी लाईसेंस प्लॉटों का आवंटन किये जाने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर बोली आमंत्रित की जाती है। स्वारी लाईसेंस प्लॉटों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:- |             |                |                                 |           |
| जिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तहसील       | राजस्व ग्राम   | खनिज का नाम                     | कुल प्लॉट |
| चित्तौड़गढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निम्बाहेड़ा | बिनोला         | लाइमस्टोन (खण्डा, पट्टी, फर्शी) | 14        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | बैंगू          | सैंपट स्टोन                     | 76        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | मकराना         | मर्बल                           | 51        |
| जोधपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शेरगढ़      | शिवपुरा        | सैंपट स्टोन                     | 2         |
| डीडवाना-कुचामन                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मकराना      | तिलिस्वां      | सैंपट स्टोन                     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | पचानपुरा       | सेण्डस्टोन                      | 28        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | बिजौलिया खुर्द | सैंपट स्टोन                     | 4         |
| भीलवाड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बिजौलिया    | खडीपुर         | सैंपट स्टोन                     | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | सुखपुरा        | सेण्डस्टोन                      | 12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | कुल प्लॉट      |                                 | 193       |

स्वारी लाईसेंस प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑक्शन की शर्तें विभागीय वेबसाइट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के [enivida.portal.ths/rajminorrcerce.enivida.com](http://enivida.portal.ths/rajminorrcerce.enivida.com) पर उपलब्ध है।

(दीपक तंत्र) निदेशक

| सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ,बीकानेर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| क्रमांक: साविम /स्पा /2025 / 1475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिनांक: 29.07.2025 |
| आवश्यकता /सूचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| कुलसचिव, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक: प.212 /SKRAU /Estt /Gr I / 2025 /815 दिनांक 28.07.2025 के संदर्भ में सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर स्नातक एवं स्नाकोत्तर के विद्यार्थियों को अकादमिक सत्र 2025–26 के प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न विषय खाद्य एवं पोषण, संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान, मानव विकास एवं पारिस्परिक अध्ययन, परिणाम एवं वस्त्र विज्ञान, प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन और शरिरिक प्रशिक्षक शिक्षक को पढ़ाने हेतु अथिति संकाय के रूप में योग्य शिक्षकों की अंशंशालीन आवश्यकता है। इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी (स्नाकोत्तर के साथ NET अथवा Ph-D) या रिजिस्टर्ड कॉलेज शिक्षक (70 वर्ष से कम आयु वाले) अपने बायोडाटा के साथ मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सेट स्व: प्रमाणित साथ लेकर दिनांक 01.08.2025 को सुबह 10.00 बजे अधिष्ठाता कार्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में साक्षात्कार हेतु व्यक्तिश: उपस्थित होंगे। अथिति संकाय शिक्षकों को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय देय होगा। चयन प्रक्रिया के समस्त अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेंगे। |                    |
| अधिष्ठाता <span> </span> : सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर– 334006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| राज.संवाद /सी / 25 / 7170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अधिष्ठाता          |

| राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई-निविदा सूचना                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्रमांक :- 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                               | दिनांक :- 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| निविदा संख्या एवं दिनांक                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F-9(141)/CC/2022-2025-13                                                                                                                                                                                                                            | कार्य का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dated 25.07.202                                                                                                                                                                                                                                     | कनकाक मातापुरा सिन्हाट्ट मांस गांव-मातापुरा तहसील-जयल नागौर में एक 11 / 43 की म्यूटुल श्रावडिंग रेजिस्टर (एनजीआर) की अनुमति, स्वामता, कमीशनिंग और परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य)। अनुमानित मूल्य (₹.) 10.40 लाख, घरेलू राशि (₹.) – 20,800 /- , निविदा राशि– 1180 /- अहस्तान्तरणीय जी.एस.टी. सहित। ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क रुपये 500/- का डी.डी. जो कि एच.डी., आर.आई.एस.एल., जसपूर के नाम देय हो। |
| UBN No. MML2526GLOB0800071                                                                                                                                                                                                                          | www.rsmm.com अथवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट <a href="http://www.rsmm.com">www.rsmm.com</a> अथवा <a href="http://www.sppp.rajasthan.gov.in">www.sppp.rajasthan.gov.in</a> अथवा प्रबंधक (सांख्यिकी-अनुकूल) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| राज.संवाद/सी/25/7178                                                                                                                                                                                                                                | अध्यापक (का. एवं प्रशा.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

कार्यालय नगर पालिका मण्डल केशवराय पाटन जिला - बून्दी (राज०)

mpalika3@gmail.com ph.no. 07438-264346

क्रमांक :- ना०पाको/पाका/निर्माण/ 2025-26 / 1305-1307 दिनांक :-25.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 2025-26

2025-26

नगर पालिका केभाटन द्वारा विभिन्न कार्य हेतु नगर पालिका केभाटन में पंजीकृत कार्य के अनुसार स्थान स्तर के संवेदक एवं अन्य विभागों में पंजीकृत AAA श्रेणी के संवेदकों से द्वी लिपिका पद्धति ई-निविदा पद्धति से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा वेबे जाने की दिनांक 25.07.2025 से दिनांक 08.08.2025 प्रातः 9.00 बजे तक है। निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

| Sr. No. | UBN No.          | Sr. No.                  | UBN No.          |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | DLB2526WSOB12628 | 2                        | DLB2526WSOB12629 |
| 3       | DLB2526WSOB12630 | 4                        | DLB2526WSOB12631 |
| 5       | DLB2526WSOB12633 | TENDOR COST – 24.65 LACS |                  |

राज.संवाद /सी / 25 / 7044

अध्यक्ष

अधिशासी अधिकारी

## अवैध बजरी भरे तीन डम्पर जब्त, चालक गिरफ्तार

माण्डलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ के बोगोद थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) ने बजरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। बनाव नदी की ओवरलॉड अवैध बजरी परिवहन करते तीन डम्पर्स को जब्त किया है। पुलिस ने डम्पर चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। खनिज विभाग ने डम्पर चालकों के खिलाफ बोगोद थाने में मामला दर्ज कराया है। भीलवाड़ा की स्पेशल टीम ने बुधवार को जोजन-धाकड़खेड़ी सड़क मार्ग पर जा रहे अवैध बजरी भरे ओवरलॉड तीन डम्पर्स को जब्त किया और वाहनों को बीगोद थाने लाकर खड़ा कराया। पुलिस जांच के दौरान तीनों डम्पर के पास बजरी ओरिवहन के वैध दस्तावेज नहीं मिले।

डम्पर चालकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बनाव नदी किनारे खटवाड़ा गांव के पास बजरी स्टॉक से जेसीबी से तीनों डम्पर में बजरी भरी गई और मध्यप्रदेश में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। सूचना पर खनिज विभाग के फोरमैन ने बोगोद थाने पहुंच कर तीनों अवैध बजरी के डम्पर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने डम्पर चालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। खनिज विभाग के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के साथ अवैध बजरी खनन और परिवहन करने पर जब्त डम्पर्स से 15 लाख 72 हजार राशि जुर्माना के रूप में वसूली जाएगी। वहीं परिवहन विभाग द्वारा ओवरलॉड की अलग से कार्रवाई की जाएगी और स्टॉक संचालक व जेसीबी को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

## अधेड़ से मारपीट की

भीलवाड़ा, (निसं)। रायपुर में खेत में पशु प्रवेश करवाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने जान अधेड़ को उस वक़्त भारी पड़ गया, जब थाने के सिपाही दशरथ सिंह ने मारपीट कर दी, जिसके कारण अधेड़ का कान का पर्दा भी फट गया, जिसके बाद घायल अधेड़ को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं परिजनों ने एसपी से आपापी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। घायल के परिजन जगदीश

तेली ने कहा कि कोशियल में रहने वाले मेरे साढ़ू नंद लाल तेली के खेत में शंकर लाल तेली अपने मवेशी चरने के लिए छोड़ देता है, जिसकी उलाहना देने पर शंकर लाल ने नंद लाल से मारपीट की और जब हम इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने रायपुर थाने में गए तो वहां बीट प्रभारी दशरथ सिंह ने शंकरलाल से सांठ-गांठ करते हुए हमारी रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिया और 15 हजार रूपए की मांग रखी।











</



# मुख्यमंत्री ने वर्षा पीड़ित जयपुर शहर की स्थिति का निरीक्षण किया

## उन्होंने सांगानेर थाने से मालपुरा गेट तक बनने वाली एलीवेटेड रोड की प्रगति जानी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी-टू बाईपास, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर रूक कर जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों व ड्रेनेज सिस्टम की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का लगभग छह घंटे सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने बी-टू बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप पर रुककर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों एवं ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

शर्मा ने बी-टू बाईपास रोड के पास ड्रव्यवती नदी का अवलोकन किया और घने वृक्षों की छंटाई तथा नालों के फेरो कवर की मरम्मत करने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया और बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी फीडबैक लिया।

के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कच्ची बस्तों के लोगों एवं बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को निचले क्षेत्रों में जल निकासी तथा आपात स्थिति में वहां के निवासियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जलभराव वाले स्थानों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी चौराहे पर

पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को चौराहे पर सर्कल निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने महाराजा सूरजमल सर्किल व केसर नगर चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए।

शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने चौरडिया पेट्रोल पंप तिराहे पर रुककर सांगानेर थाने से चौरडिया पेट्रोल पंप और मालपुरा गेट तक बनने

वाली एलिवेटेड रोड की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से भी फीडबैक लिया। साथ ही, उन्होंने चाय की दुकान पर रुककर चाय भी पी।

इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम ग्रेटर सहित, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

# अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया

## ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण व तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माना लगाने की भी बात कही

वॉशिंगटन, 30 जुलाई। लंबे समय से जारी अनिश्चितता पर विराम लगाते हुये, अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी और रूस से सैन्य उपकरण तथा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सोशल पर लिखा कि भारतीय उत्पादों पर पहली अगस्त से 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू हो जायेगा। उन्होंने भारत को "मित्र" बताते हुये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से दोनों देशों के बीच कारोबार कम रहा है। इसका कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है, जो दुनिया में सर्वाधिक आयात शुल्क लगाने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के मुकाबले भारत में गैर-मौद्रिक बाधायें भी सबसे ज्यादा हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत भारी मात्रा में रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है। ऐसे समय में, जब सभी चाहते हैं कि रूस "यूक्रेन में हथियारों" रोक दे, भारत चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीददार है। उन्होंने लिखा कि उसका रूस से ऐसा व्यापार करना गलत है और घोषणा की कि पहली अगस्त से भारत 25 फीसदी आयात शुल्क भरेगा। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने की एवज में जुर्माना भी भरेगा। अमेरिका ने

■ ट्रंप ने कहा कि भारत -अमेरिका में कारोबार कम होने का कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है।

इस साल अप्रैल में भारत पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालाँकि बाद में भारत समेत सभी देशों के लिए आयात शुल्क के क्रियान्वयन को टाल दिया गया था। भारत के लिए इसे पहले इसकी तारीख नौ जुलाई तय की गयी थी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के कारण आयात शुल्क की घोषणा टलती रही। इसके बाद अमेरिका ने जब जापान और यूरोपीय संघ के साथ समझौते के तहत उन पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत के लिए भी करीब 15 प्रतिशत की दर ही होगी।

भारत पर आयात शुल्क और जुर्माने की घोषणा से पाँच मिनट पहले लिखा था, "पहली अगस्त की समय सीमा मतलब पहली अगस्त की समय सीमा - यह सख्त है और इसे बढ़ा या नहीं जायेगा। अमेरिका के लिए बड़ा दिन।" उन्होंने लिखा कि पहली अगस्त अमेरिका के लिए बड़ा दिन होगा।

## राज्य उपभोक्ता ....

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
आदेश की पालना में पुलिस ने यूपी निवासी आरोपी सक्सेना को गिरफ्तार कर आयोग में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले से जुड़े अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय सक्सेना सहित, अन्य के खिलाफ आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाह ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।

वहीं, वारंट की पालना पुलिस आर्युक्ताजी को करने के लिए कहा था। इस आदेश की पालना में ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की।  
परिवारियों ने सहारा प्राइम सिटी, यानी सहारा सिटी होम्स में 2004 में आवासीय इकाइयों खरीदी थीं, लेकिन प्रोजेक्ट तय समय में पूरा नहीं हुआ और उसका कब्जा तय समय, 2012 तक नहीं दिया गया।

मामला आयोग में आने पर परिवारियों के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बावजूद, विपक्षी ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर परिवारियों ने आयोग में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने का आग्रह किया था।

## ( प्रथम पृष्ठ का शेष )

अपॉइंटमेंट्स की रोक जा रहा है। उसी दिन शाम 4:30 बजे हुई दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू गैरहाज़िर रहे। उसी के बाद अचानक इस्तीफे की खबर आई।

धनखड़ के आवास पर रहे गए विजिटर्स रजिस्टर में यह दर्ज है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, महासचिव जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की अक्सर मेजबानी की। जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आगाह किया, तब नड्डा से कहा गया कि वे धनखड़ को सावधान करें। उन्हें यह भी बता दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में महाभियोग के जरिए नहीं होगी। इस बीच, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में महाभियोग के लिए 145 सांसदों का हस्ताक्षर जुटाने का प्रयास हुआ। धनखड़ उस समय तक 50 सांसदों के न्यूनतम हस्ताक्षर भी नहीं जुटा पाए थे, जो राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी

थे। इसलिए घोषणा की गई कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है, और वे ही आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह भी बताया गया कि राज्यसभा में अब तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा के 145 सांसदों का प्रस्ताव ही मान्य होगा। हालांकि, लोकसभा में न्यूनतम 100 हस्ताक्षर पर्याप्त होते हैं। इस घटनाक्रम के साथ ही, धनखड़ की वह योजना विफल हो

और वर्तमान स्थिति पर भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी या फिर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इससे सरकार की तैयारी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई प्रमुख सवालों के जवाब देने में असफल रही, जैसे आतंकवादी पहलुगाम में घुसे

गई, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति अपनी पसंद से करना चाहते थे। अब यह अधिकार स्वमेव लोकसभा अध्यक्ष को चला गया है। सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि वह यह दिखाना चाहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर वह खुद सख्त है और वो ही यह प्रस्ताव लाई है।

## विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन ...

कैसे और हमले के बाद कहाँ चले गए? क्या वे मारे गए, या अब भी फरार हैं? विपक्ष ने सरकार द्वारा तीन आतंकियों के मारे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया। विपक्ष ने पूछा कि भारत ने कितने लड़ाकू विमान इस संघर्ष में खोए? ट्रम्प की कथित मध्यस्थता के बाद हमला रोकने से भारत को क्या रणनीतिक लाभ मिला? इसके अलावा, विपक्ष ने इस संकट के दौरान चीन और

## ऑपरेशन सिंदूर केन्द्र सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है- नड्डा

नयी दिल्ली, 30 जुलाई। राज्य सभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में 2014 के पहले कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गये, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गयी।

उन्होंने कहा कि देश में फौज और पुलिस तो वही होती है लेकिन सरकार के काम करने का तरीका उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि 2016 में उरी में जैश-ए-

■ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गई।

मोहम्मद ने आतंकवादी हमला किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिकोड में कहा था कि उरी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जायेगा। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक से उस हमले का जवाब दिया गया, जिसे सारी दुनिया ने देखा। केन्द्रीय मंत्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून

# जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है- अमित शाह

## गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को आतंकवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद कांग्रेस से विरासत में मिले

लाल नेहरू समझ जाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब देने की मांग कर रहे थे। मोदी उस समय सदन में मौजूद नहीं थे।

शाह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और द ांचागत परिवर्तनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और वहां पिछले छह

# किसी भी दुर्घटना में जनहानि की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी- मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि एक विशेष कमेटी गत 6 वर्ष में बने भवनों की गुणवत्ता जाँचेंगी

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी विभाग क्षतिग्रस्त, जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की तुरंत मरम्मत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसी किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों की सूची बनाएं तथा एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाए।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को जर्जर भवनों के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा समय पर

■ अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाये।

प्रस्ताव तैयार करके कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जर्जर भवनों की जानकारी संबंधित

अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाए। बैठक में बताया गया कि जीर्ण-क्षीर्ण एवं क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ियों को अत्यन्त सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर पूरी जानकारी के साथ जिलेवार रिपोर्ट बनाएं तथा मरम्मत कार्य करवाए जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

में अनुबंध के तहत ईदिरा रसोई संख्या 329 , नगर, डींग को संचालित करने का काम दिया गया। रसोई संचालन का यह काम उसे तीन साल के लिए दिया था। यह अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून

2025 को उसका अनुबंध बिना किसी कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उसका अनुबंध निरस्त किया है। ऐसे में राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनुबंध निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

■ केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में चर्चा का जवाब शुरू करते ही विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब मांग रहे थे।

महीने में एक भी स्थानीय युवक की आतंकवादी संघटनों में शामिल हुई है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार को कांग्रेस की सरकार से आतंकवाद ,

उग्रवाद और नक्सलवाद विरासत में मिले थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर बात करने वाली कांग्रेस को इस आंकड़े पर नजर डालनी चाहिए कि उसके राज में 54 आतंकवादी हमलों में 600 से अधिक लोग मारे गये।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के भारत के अधिकार का सभी देशों ने समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता निंदबन्धम ने उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रश्न उठाया कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे

# सुप्रीम कोर्ट ने ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

का दुरुपयोग कर पुष्ट डी की नौकरियों के बदले अपने परिजनों के नाम पर ज़मीन लिखवाई।

सीबीआई का आरोप है कि ये नियुक्तियाँ बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक चयन प्रक्रिया के की गई थीं और इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका थी, जिन्हें रेल

मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के सीधे निर्देश मिले थे। ये नियुक्तियाँ भारतीय रेल की मानक सर्ती प्रक्रिया के खिलाफ पाई गई। जांच के बाद, सीबीआई ने 7 जून को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू प्रसाद, उनके परिजनों और 77 अन्य, जिनमें 38 नौकरी पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं, को आरोपी बनाया गया था।

## ‘नागरिकता सबूत पेश करने ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

पत्र में यह भी कहा गया कि "ऐसा लगता है, मानो मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये एएसआईआर पर्याप्त नहीं थी, तभी तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटैन्सिव रिविजन) को इतनी तेजी से लागू करना, बृथ वेलव ऑफिसर्स (बीएलओ) को असंभव समय सीमा देना और डेटा डिजिटाइज करने के लिए अपर्याप्त संसाधन देना, चुनाव आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया का उपहास बन कर रह गया है।"

# रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
के भरोसे पर टिका हुआ नहीं होता है। यह अपना आंतरिक मूल्य रखता है और दुनिया में कहीं भी आसानी से इसे नकदी में बदला जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक अब सोने की ओर रुख कर रहे हैं। मगर आरबीआई की आक्रामक रणनीति इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले खतरों को गंभीरता से ले रहा है: जैसे कि अस्थिर अमेरिकी डॉलर, व्यापार युद्ध, बढ़ती महंगाई, और

भू-राजनीतिक तनाव।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की फिर से टैरिफ लगाने की धमकी हालिया वैश्विक चिंता की एक वजह बनी है। उनके बयानों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था और डॉलर की प्रभावता को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षा कवच के साथ-साथ, स्वायत्तता व आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन जाता है। यह कदम वैश्विक रश्यां से भी मेल खाता है। ब्रिक्स देश, ब्राजील,

रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लंबे समय से डॉलर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सोना, जो कि एक सार्वभौमिक मूल्य का भंडार रहा है, उनकी योजना में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। भारत के लिए यह केवल बैलेंस शीट में विविधता लाने का कदम नहीं, बल्कि एक तरह की "रिज़र्व डैमोक्रैसी" भी हो सकती है। इसके घरेलू कारण भी हैं। भारतीय रुपया भले ही तुलनात्मक रूप से स्थिर हो, फिर भी वह तेल कीमतों में उछाल या अचानक पूंजीनिकासी जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में अधिक सोना रखकर आरबीआई अपने लिए सुरक्षा आधार तैयार करता है, एक ऐसी संपत्ति, जो ब्याज दरें, प्रतिबंधों या मुद्रा गिरावट से प्रभावित नहीं होती।

आलोचक यह कह सकते हैं कि सोना ब्याज अर्जित नहीं करता, जबकि सरकारी बॉन्ड ब्याज देते हैं। मगर जब दुनिया आर्थिक संकट में हो, तो स्थिरता, मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के कदम यह दिखाते हैं कि वह तत्काल लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक

स्थायित्व पर ध्यान दे रहा है। असल में, यह सोना-खरीद अभियान केवल सतकता नहीं है, बल्कि यह डॉलर-प्रधान वित्तीय व्यवस्था में एक मौन अविरथा का संकेत भी है। यह इशारा करता है कि भारत, बाकी देशों की तरह, एक कठिन आर्थिक रास्ते के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भले ही वैश्विक आर्थिक संकट अभी निकट हो या नहीं, आरबीआई इंतजार नहीं कर रहा। वह भारत के भंडार को उस संपत्ति से मजबूत कर रहा है, जिसने हर दौर के संकट को सहा है, वह है सोना।

## ‘जमानती अपराध ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं पर अपराध प्रमाणित है।